

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी:-उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

1. अभिमन्यू वर्मा पुत्र विजय वर्मा जाति कुम्हार निवासी टिब्बी तहसील टिब्बी।
-वादी

बनाम्

1. विजय कुमार (विजय वर्मा) पुत्र भूराराम जाति कुम्हार निवासी टिब्बी तहसील
2. इन्द्रादेवी पत्नी विजय कुमार टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

C.N. 329/18

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादी मिन जांमिन मुदई श्री महावीर वर्मा प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि चक नं० 6 जीजीआर के प०न० 208/287 मु० 48 किला नं० 7,8, 13,14,15, /1.265,16 /1/.240, 17 /1/.240, 23 /.240, 24 /.253, प०न० 209 /287 मु० 49 किला नं० 11,12,19, 20 /1.012 है०, प०न० 208/288 मु० 53 किला नं० 3,4,5 /.759 है० कुल 4.262 है० कृषि भूमि का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 6 जीजीआर के खाता हाजा में से प्रतिवादी सं० 1 का हिस्सा कम कर शेष 0.506 है० भूमि प्रतिवादी सं० 1 के नाम रखे जाने के आदेश दिये जाते हैं। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 4/9/18 अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 4/9/18 को जारी किया गया।



(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी